Knowledge Consortium of Gujarat
Department of Higher Education - Government of Gujarat
Journal of Social Science
ISSN: 2279 - 0241

Continuous issue-22 | June – July 2016

मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम और कानून के संघर्ष में आनेवालें किशोरों की शैक्षिक स्थिति

सारांश

प्रस्तुत अनुसंधान में राज्य के अवलोकन कक्ष में कानून के संपर्क में आनेवाले किशोरो की शैक्षिक स्थिति किस प्रकार की है, यह जानने का प्रयास किया गया है। देश के बच्चो के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लेने का अधिकार का पावधान संविधान में किया गया है। एसी परिस्थिति में बाल-अपराध की ओंर जानेवाले बच्चे है, उनके लिए भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कौन से प्रकार की शिक्षा दी जाती है, यह जानने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एवं राइट टु एज्युकेशन एक्ट यह दोनो कानून के प्रावधान के सीधे संपर्क में आनेवाले बच्चो को बच्चे के वर्तन के अनुरुप किस से प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था का समायोजन किया है या समायोजन में आनेवाली प्रशासनिक एवं शैक्षिक समस्याऐ कौन सी है, यह जानने के लिए प्रस्तुत अनुसंधान सुरत(गुजरात) के पास का आंचलिक अवलोकन कक्ष की प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि(अवलोकन विधि) एवं गौण जानकारी का इस्तमाल किया गया है। गौण जानकारी में मुख्यतः वर्ष २०१३-१४ और २०१४-१५ तक की आंचलिक कचहरी अवलोकन कक्ष सुरत(गुजरात) के बच्चो के आंकडे की जानकारी के मुताबीक इन वर्षो में चोरी,बलात्कार, ख़ून, मारामारी,व्यसन,लूट,अपहरण जैसे मामलो में कानून के संपर्क में आए बच्चो की परिस्थिति को समजने का प्रयास किया गया है।

प्रास्ताविकः-

सन १९८९ की २० वी नवंबर को संयुक्त राष्टसंघ की सामान्य सभा में बच्चो के अधिकारो पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के कलम नंबर-३ में बताया गया है कि सार्वजनिक या नीजी सामाजिक कल्याण की संस्थाएँ,कानून की अदालतो,प्रशासनिक विभाग,विधायी गृह द्वारा चलाए जानेवाली बच्चो के संलग्न सभी प्रवृत्तियाँ में बच्चो के श्रेष्ठ अधिकारो को अग्रता दी जायेगी। वच्चो के अधिकारो को प्रस्तुत किया। इसके अलावा जब जब बाल अधिकारो पर सबसे अधिक चर्चा हुई तब तब उनकी जरुरीयाते,आकांक्षाएँ ध्यान में रख़कर उनको अधिकार दिया गया। संयुक्त राष्ट संघ द्वारा बच्चो को दिये गए अधिकारो की जानकारी के बारे में देख़ेगे।

सन १९८९ की २० वी नवंबर के दिन यह घोषणा हुई। इस घोषणा की कलम-३७ में बताया गया है की अन्य क्रूर,अमानवीय व्यवहार जो १८ साल की छोटी आयु के व्यक्तिने की जिसने गुनाहित प्रवृत्ति की है, जिसको मुक्ति की कोई भी गुंजाहिश हीं नहीं है, ऐसी कोई भी प्रकार की आजीवन केद सहित की सजा का प्रावधान नहीं है। शैक्षिक अधिकारो के तहत कलम-२८ के मुताबिक सभ्यदेशो बच्चो की शिक्षा के

अधिकार को अनुमति देगा एवं यह अधिकार को क्रमश प्राप्त हो इस प्रकार प्रत्येक को समान तक के दाय़रे में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनायेगा और प्रत्येक को यह उपलब्ध करवायेगा।

वैश्विक शिख़र संमेलन सन् १९९० की ३० वीं सितम्बर के रोज विश्व के १५० से भी अधिक विकसित और विकासशील देशो के राजकीय नेतागण न्युयोर्क में इकट्ठे हुए। इस वैश्वक शिखर संमेलन में सन् २००० की साल तक पुरा करनें के उद्देश्य से सात उद्देश्य प्रस्तुत किए गये। उसके पाँचवे मुद्दे में एसा पारित किया गया की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले अल्प आयुवाले बच्चो के लिए कम से कम ८० प्रतिशत शिक्षा का अनुपात हो। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रिक व्यवस्था उपलब्ध की गई । हाल हीं मे विकसित राष्ट्रो में ५५ प्रतिशत जितने बच्चे शाला में चौथी कक्षा तक पढ़ाई पुरी की है। शिक्षा के बीना बच्चे का विकास असंभव है। प्रस्ताव में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। भारतीय संविधान के कर्ताओने भी इस संभावनाओ की ओर भी ध्यान दिया था (धारा-४५), किन्तु स्वतंत्रता की आधी सदी बीत जाने के बावजूद भी उनके स्वप्न साकार नहीं हुए। संरक्षण अधिकार का विशेष महत्व है। अभी युनिसेफ के आंकडे की जानकारी के मुताबिक बच्चो की शाला शिक्षा छुड़वा देने पर अमानवीय परिस्थितियाँ या अल्प वेतन से काम कराने की कोशिश की जाती है।

सन् १९७४ में राष्ट्रीयनीति की रचना की गई थी। इसमें यह बात स्वीकार की गई है कि राष्ट्र ही राष्ट्र की सब से महत्वपूर्ण पूँजी है। बच्चो के हित के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें चौथे मुद्दे और छट्ठे मुद्दा में बताया गया है कि शाला, सामुदायिक केन्द्र और इस प्रकार की अन्य संस्थाएँ जिसमें शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और अन्य प्रकार की मनोरंजन और सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ को ध्यान में रख़ा जायेगा। अपराध की ओर मुडनेवाले या भीख़ माँगने का कर्तव्य के शीकार या अन्य तरह से मुश्केली में फसे बच्चो पर खास निगरानी में एसे बच्चो को समाजोपयोगी नागरिक बनाने में मददरुप होकर उनके लिए शिक्षा की तालीम एवं पुनःस्थापन की सवलते पूरी की जानी चाहिए।

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम

समय का बहाव बदलने से विचारो एवं मूल्यो में परिवर्तन आता है। बीसवीं सदी में शिक्षाविदो,विचारको,तत्वचिंतको,शिक्षितो आदि ने निवेदन दिया की शिक्षा का मुख्य हेतु (उद्देश्य) बच्चो के सर्वांगी विकास करने का होना चाहिए। क्योंकि-

“A Child is a future wealth of the nation”

शिक्षा सतत परिवर्तनशील एवं निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। बच्चो का सर्वांगी विकास करने के हेतु से शिक्षा के क्षेत्र में दिन ब दिन परिवर्तन होते रहते है।

भारत को स्वतंत्रता मीली उससे पहले से हीं शिक्षा को सार्वत्रिक,अनिवार्य एवं मुफ्त बनाने के प्रयास हुए है। इसमें अंग्रेज विद्वानोमें विलियम एडम्स(१८३८),केप्टन विनिगेट(१८५२), टी.सी. होप(१८५८) आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में से भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए देशी राज्य बडौदा में सन् १८९२ में महाराजा सयाजीराव गायकवाडने अपने राज्य के अमरेली तहसील के सभी गाँव में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दर्ज की थी। सात से बारह साल की आयु के लडके एवं सात से दस साल की आयु

की लडकीयों के लिए अनिवार्य तौर से प्राथमिक शिक्षा का कानून को भारत में सबसे पहले पहले सयाजीराव गायकवाडने पारित किया था। सन् १९१८ में श्री विठ्ठलभाई पटेल के प्रयास से इस पावधान को कानूनी तौर से मुंबई प्रान्त में लागु किया गया। इस कदम से देश के विविध प्रान्तो में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयास किए गये थे।

सन् १९४७ में भारत देश स्वतंत्र हुआ और सन् १९५० में भारत में संविधान को लागू किया गया। राज्य बंधारण की धारा-४५ में संविधान लागू होने से दस साल की समयावधि में १४ साल की आयु के बच्चो को मुफ्त,अनिवार्य एवं सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का वादा किया गया, किन्तु यह धारा मार्गदर्शक सिद्धांतों में होने सें सरकार भी कोई भी फर्ज अदा नहीं कर पाई। इस प्रकार यह धारा का योग्य इस्तमाल न हो सका। वस्तुतः देश में शिक्षा के स्तर में गीरावट आई। यह स्थिति को सुधारने के लिए स्वत्रतता के ६६ वें वर्ष में (संविधान की धारा-२१A) राइट-टु- एज्युकेशन - २००९ का कानून बनाया गया।

प्राथमिक शिक्षा अधिनियम (RTE) की सैधांतिक जानकारीः

प्रास्ताविकः-

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा २०१५ तक सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम भी इस निर्णय के हिस्सेदार होने से हमारी सरकार ने भी इस लक्ष्य को स्वीकारा है। इस प्रकार कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित रह न जाए इसलिए २००२ में बंधारण के ८६ कें सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को बुनियादी अधिकार(आर्टिकल-२१A) बनाया गया। साल २००९ में भारतीय सांसदने 'बच्चो के मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार' अधिनियम पारित किया। जिसको २६ अगस्त २००९ के १ अप्रिल २०१० से लागू किया है।

६ से १४ साल की आयु के अपाहिज सहित सभी प्रकार के बच्चो को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए विभिन्न प्रावधानो में विवरण दिया हुआ है। जिसमें कोई भी प्रकार की फीस दिए बीना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिए जाता है। कुछ मामलो में ६ से ज्यादा साल में भी प्रवेश लिया हो तो भी एसे बच्चो के लिए उसकी उम्र के मुताबिक कक्षा में प्रत्यक्ष प्रवेश दिया जाए,एसी परिस्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता टीकी रहे इसलिए अलग प्रकार से तालीम का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा १४ साल के बाद भी आधी प्राथमिक शिक्षा मुफ्त प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। बच्चो की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने कें लिए जहाँ व्यवस्था न हो वहाँ से बच्चे को अन्य शाला या अन्य राज्य के बच्चे की इच्छानुसार प्रवेश प्राप्त कर सके इसके लिए तबदीली प्रमाणपत्र बीना देर करें शाळा के आचार्य देगे। महत्वपूर्ण परिस्थिति में एसा भी प्रावधान किया गया है कि तबदीली प्रमाणपत्र की देरी से शाळा प्रवेश में देरी नहीं की जाएगी। यहाँ देरी के कारणो के जिम्मेदारो के सामने शिस्त विषयक कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है।

बच्चो के अधिकार की सुरक्षाः-

यहाँ बच्चो के अधिकार की सुरक्षा के लिए राज्य आयोगने निम्नलिखित कार्यो को सोंपा गया हैः-

- अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुरक्षा की शिकायतो की जाँच करना,समीक्षा करना और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशे करना।

- बच्चो की शिक्षा की सुरक्षा की शिकायतो की जाँच करना एवं सभी आवश्यक उपाय करना।
- आयोग की रचना न हुई हो एसे राज्यो में अलग से व्यवस्था करना।
- इसके अलावा,स्थानीय सत्तातंत्र भी शिकायत सुनकर उसका योग्य निपटान करेंगी।

यहाँ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार सम्मेलन की रचना का प्रावधान किया गया है, जिसमें-

- प्राथमिक शिक्षा और बाळ विकास के क्षेत्रो में ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त ज्यादा से ज्यादा १५ सदस्यो के सम्मेलन की रचना करेंगे।
- अधिनियम के प्रावधान का प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में भी राज्य सरकार को सलाह देंगे।

तालिका १.१

क्रम	**मामला**	**मानांक और मानदण्ड**	
१	**शिक्षको की संख़्या**	**दाख़िल बच्चे**	**शिक्षको की संख़्या**
	(क) प्रथम कक्षा से पाँचवी कक्षा के लिए	**६० तक**	**दो**
		६१ से ९० के बीच	**तीन**
		९१ से १२० के बीच	**चार**
		१२१ से २०० के बीच	**पाँच**
		१५० बच्चो से ज्यादा	**५ + १ मुख़्य शिक्षक शिक्षक-विद्यार्थी गुणवत्ता**
		२०० बच्चो से ज्यादा	**४० से ज्यादा नहीं।**
	(ख़) कक्षा-६ से कक्षा-८ के लिए	**(१) प्रतिवर्ग कम से कम एक शिक्षक, जिससे निम्न हरेक विषय को कम से कम एक शिक्षक होगा-**	
		(१) विज्ञान और गणितशास्त्र	
		(२) सामजिक विज्ञान	
		(३) भाषाएँ	
		(२) प्रत्येक ३५ बच्चो के लिए कम से कम एक शिक्षक	
		(३) बच्चो का प्रवेश १०० से ज्यादा हो वहाः- (१) एक पूर्णकालिन शिक्षक	

		(१) निम्न के लिए अंशकालिन प्रशिक्षक (क)कला शिक्षक (ख)स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (ग) कार्य शिक्षा
२	इमारत	निम्नलिख़त बारहमासी इमारत
		(१) हरेक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और कार्यालय-स्टोर सहित-मुख्य शिक्षक के लिए एक कक्ष
		(२) बाधा मुक्त प्रवेश
		(३) लडकें और लडकीयों के लिए विभिन्न शौचालय
		(४) सभी बच्चो के लिए सुरक्षित एवं पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था
		(५) मैदान
		(६) शाळा की इमारत की सुरक्षा के लिए खाना पकाया जाता है वह व्यवस्था
३	शैक्षिक वर्ष में कामकाज कम से कम दिन/शिक्षा के घंटे	(१) पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा के लिए कामकाज के २०० दिन
		(२) छठ्ठी कक्षा से आठवी कक्षा के लिए कामकाज के २२० दिन
		(३) पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा के लिए शैक्षिक वर्ष प्रति शिक्षा ८०० घंटे
		(४) छठ्ठी कक्षा से आठवी कक्षा के लिए शैक्षिक वर्ष प्रति शिक्षा १००० घंटे
४	शिक्षक के लिए सप्ताह में कामकाज के कम से कम घंटे	तैयारी सहित शीख़ाने के ४५ घंटे
५	सीख़ाने-पढ़ाने की उपकरण सामग्री	प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता के अनुरूप दिए जायेगी।
६	पुस्तकालय	प्रत्येक शाळा में पुस्तकालय होगा। उसमें समाचारपत्र,पत्रिका,सभी विषयो की पुस्तके और कहानीयाँ की किताबे भी होगी।
७	खेळ सामग्री,खेळ और खेळ की सामग्री	प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता के अनुरूप दिए जायेगी।

- **किशोर न्याय के लिए बालकों की देखरेख ओर संरक्षण अधिनियम - 2000**

बालकों की देखरेख ओर संरक्षण अधिनियम- 2000 के कानुन में विधी का उल्लधन करनेवाले किशोरों का देखरेख ओर संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालको से संबंधित तथा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए ईस अधिनियम मे संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड(3) अनुच्छेद(45) ओर अनुच्छेद 47 सहित अनेक उपबंध में राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है की बालको की सभी आवश्यकताए पूरी कि जाए ओर उनके बुनियादी मानवीय अधिकारो का पूर्वा रूप से संरक्षण किया जाए ।

जिनमें बोर्ड, महानगर, मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओर न्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और ऐसे दो सामाजिक कार्यकर्ता से मिलकर बनेगा, जिनमे से कम से कम एक महिला होगी और वह न्यायपीठ के रूपमें गठित होगा और ऐसे प्रत्येक न्यायीपीठ को दंडप्रक्रिया संहिता-1973 द्वारा यथा स्थापित, महानगर मेजिस्ट्रेट के रूपमें पदाभीहीत किया जाने का प्रावधान इस अधिनियम मे किया गया है । और किसी भी मेजिस्ट्रेट को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नही कियी जायेगा जब तक की उसके पास बालमनोविज्ञान या बाल कल्याण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण न हो और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की बोर्ड के सदस्य के रूपमें तब तक नियुक्त नही की जायेगी जब तक वह बालको से संबंधित स्वास्थय, शिक्षा या कल्याण के क्रिया कलापोमे कमसे कम सात वर्षो तक न लगा रहा हो ।

जैसे ही विधी का उल्लधन करने वाले कोइ भी किशोर पुलिस(विशेष किशोर पुलिस बल) द्वारा गिरफ्तार किया जाता है । तभी वह विशेष किशोर पुलिस बल एकक या अभिहीत पुलिस अधिकारी के प्रभार के आधीन रखा जाएगा । जो मामले की बोर्ड के किसी सदस्य को तत्काल रिपोर्ट करेगा । इन प्रक्रियाओ के बाद में गिरफ्त मे लिए हूए किशोरो की जमानत की कार्वाइ की जाती है । इस अधिनियम के अध्याय- 4 के अनुरुप पुनर्वास और समाज मे पुन: मिलाने के लिए दत्तकग्रहण, पोषक देखरेख, पश्चातवर्ती देखरेख जैसे संगठनो द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया करने का प्रावधान किया गया है ।

- **जुवेनाइल जस्टिस (कोर एण्ड प्रोटेक्शन ओफ चिल्ड्रन) एक्ट-२००६(सुधार-२००६)**

गुजरात राज्य में बाल अपराध का दौर कम करने के लिए कानून की योजनाएँ पारित कर दी है, तदानुसार बाल न्यायी धारा-२००० गुजरात राज्य में पारित है। इस धारा के अंतर्गत १८ साल तक के लडकें और लडकीयाँ उन्हें उपेक्षित,आवारा,अनाथ,निराश्रित और भीख़ माँगने की प्रवृत्ति की ओर मुडे बच्चो को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा प्रत्येक जनपद(जिल्ले) में इस धारा के तहत स्थापित १०७ चिल्ड्रन होम एवं २६ बाल सुरक्षा कक्ष में रख़कर पुनःवसन के बारे में कार्यवाही का संचालन कर रहें है।

- **बच्चो को अवलोकन कक्ष में लाने की कानूनी प्रक्रियाः**

कोई भी बच्चा जिसकी उम्र १८ साल से कम है वह कोई भी प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति के साथ जुडे हुए हो तो नजदीक के पोलीस स्टेशन द्वारा रोक लगाकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किए गए अपराध प्रवृत्ति/ अपराध का प्रकार देख़कर योग्य आदेश करते हुए बच्चे को उसके अभिभावक को सौपना या अवलोकन कक्ष के अंतर्गत रख़ना। ऐसे गंभीर प्रकार का अपराध किया हो तो उस बच्चे को 'सुधार गृह' अवलोकन कक्ष में रख़ा जाता है। बच्चे को अवलोकन कक्ष में रख़े जाने के बाद सब से पहले जितनी जल्दी हो सके बच्चे को काउन्सेलर के द्वारा काउन्सिलिंग किया जाता है। बच्चा किस प्रवृत्ति में ऐसी प्रवृत्ति की ओर मुड़ा है इसका विवरण निरूपिण किया जाता है।

- **अवलोकन कक्ष में बच्चो को दी जानेवाली सुविधाएँ**

बच्चे को अवलोकन कक्ष में निति-नियम का नियमन कराने की समझ दी जाती है। अवलोकन कक्ष में दिए जानेवाली सुविधाएँ सभी अवलोकन कक्ष के अंतर्गत रख़े गये बच्चे को कोई भी प्रकार के भेदभाव के बीना बच्चे की माँग की सभी सुविधाएँ कक्ष में उपलब्ध की जाती है। कक्ष के निति-नियम के मुताबिक सुबह उठकर सब से पहले प्रार्थना,योग और उसके बाद रोजिंदी क्रियाएँ निपटाने के बाद चाय-नास्ता और किताबो की पढ़ाई प्रत्यक्ष कक्ष में अपनी एक पुस्तकालय उपलब्ध की गई है। इसके अलावा प्रत्येक संस्था में एक भाषा शिक्षक की नियुक्त किया गया है। जो संस्था में आनेवाले बच्चो के प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य करता है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रत्येक संस्था में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा एक शिक्षक दिया गया है। वह कानून के संघर्ष में आनेवाले बच्चे को बुनियादी शिक्षा देने का कार्य करेंगा।

हरेक साल आंचलिक कचहरी दौरान चलनेवाली विभिन्न अवलोकन कक्ष के भीतर अपराधिक गतिविधि के साथ संकलित किशोरो को लाया जाता है। इसके दौरान चलनेवाली विभिन्न उसे मुफ्त करना या अभी भी रख़ा जाए एसा फैसला किया जाता है। इस साल के दौरान विभिन्न अपराधो में सामिल किशोरो की संख़्या में उतार चढ़ाव होता रहता है। वर्ष २०१३-१४ एवं २०१४-१५ तक के आंचलिक अवलोकन कक्ष सुरत के बच्चो के आँकडे की जानकारी का अभ्यास करके उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे।

दिनांक ०१/०४/२०१३ से दिनांक ३१/०३/२०१४ तक के आँचलिक अवलोकन कक्ष सुरत के बच्चो के आँकडे की जानकारी

तालिकाः- १.२

कानून के साथ संघर्ष में आनेवाले किशोर

क्रम	विवरण	संख़्या
१	साल की शरूआत की संख़्या	३१
	साल के दौरान दर्ज हुए मामले	४०७
	कुल	=४३८
२	साल के दौरान दर्ज हुए मामलो का वर्गीकरण	
	चोरी	२१४
	बलात्कार	२५
	मारामारी	७४
	हत्या	३८
	शराब	०३
	डकैती	१८
	अपहरण	१३
	अन्य	२२
	कुल	=४००
	साल के दौरान निपटाये गए मामलो का वर्गीकरणः	

३	**फटकार देकर छूटे**	**२८**
	जमानत पे छूटे	**३४७**
	अन्य	**२४**
	न्यु सिविल होस्पिटल प्रिझनर वोर्ड से पलायन होकर जानेवाले	**०१**
	कुल	**=४००**
४	**साल के अंत में लंबित मामले-** **(दिनांक ३१/०३/२०१४ के दिन लंबित संख़्या)**	**३८**

दिनांक ०१/०४/२०१४ से दिनांक ३१/०३/२०१५ तक के आँचलिक अवलोकन कक्ष सुरत के बच्चो के आँकडे की जानकारी

तालिकाः- १.३

कानून के साथ संघर्ष में आनेवाले किशोर

क्रम	विवरण	संख़्या
१	**साल की शरूआत की संख़्या**	**३८**
	साल के दौरान दर्ज हुए मामले	**२३१**
	कुल	**=२६९**
२	**साल के दौरान दर्ज हुए मामलो का वर्गीकरण**	
	चोरी	**६९**
	बलात्कार	**४१**
	मारामारी	**४५**
	हत्या	**३१**
	शराब	**०४**
	डकैती	**२०**
	अपहरण	**०७**
	अन्य	**०७**
	3RPF	**०७**
	कुल	**=२३१**
३	**साल के दौरान निपटाये गए मामलो का वर्गीकरणः**	
	फटकार देकर छूटे	**०५**
	चिल्ड्रन होम कतारगाम	**०२**
	जमानत पे छूटे	**२३०**
	अन्य	**०५**
	कुल	**२३१**
४	**साल के अंत में लंबित मामले-** **(दिनांक ३१/०३/२०१५ के दिन लंबित संख़्या)**	**२७**

जानकारी प्राप्तः आँचलिक अवलोकन कक्ष-सुरत

- **अवलोकन कक्ष की बाल शिक्षा प्रक्रियाः-**

अवलोकन कक्ष में शिक्षा कार्य करने के लिए शैक्षिक सुविधाएँ पर्याप्त अनुपात में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार ने शिक्षा के अधिकार भी बनाये है। किन्तु समग्र पहलुएँ ध्यान में रख़ा जाना चाहिए था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी कार्यक्रमो को चलाया जाता है। उसमें मुख़्यतः अवलोकन कक्ष में रख़े गए बच्चो को उनके द्वारा हुए अपराध के मुताबिक जिस स्कूल में पढ़ते हो,एसे मामलो में बच्चे की क्षमता के अनुरूप आगे की कक्षा में पढ़ने की व्यवस्था की जाती है या आगे की कक्षा में रख़ा जाए या नहीं उसका संपूर्ण अधिकार सर्व शिक्षा अभियान के पास है।

राज्य के जिल्ला शिक्षाधिकारी के स्तर से सर्व शिक्षा अभियान के वर्ग चलाये जाते है और जिल्ले के शासनाधिकारी स्तर से अवलोकन कक्ष में शिक्षा कार्य का संचालन होता है। सोचने की बात तो यह है कि इस इस प्रकार का कार्य शहर के लिए ही पर्याप्त है, ग्राम्य स्तर पर इस प्रकार का कार्य शून्य ह

दिर्घकालिन अपराधीयों को मुख़्यतः जिस धारा पर आधारित अपराध किया हो - उदा, IPC धारा-३०२ खून, धारा-३७६ बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराध के मामलो में जब तक एसे मामलो का निपटा न हो तब तक बच्चो का अवलोकन कक्ष में हीं लंबे समय तक रहते है और उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत रख़े गए शिक्षको द्वारा बुनियादी शिक्षा दी जाती है। किन्तु उसकी मर्यादा फक्त प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। मुख़्यत्वः उपरोक्त बच्चो के सिवा भी अन्य सामान्य अपराध किया हो एसे मामलो में बच्चो को अवलोकन कक्ष में एक सप्ताह,पख़वाड़ा तक हीं सीमित दौर में आनेवाले बच्चे सामान्य अपराध में आते है। एसे मामलो में मुख़्यतः बच्चो को अवलोकन कक्ष में छात्रो को शिक्षा देने का कार्य केवल लघु अवधि तक हीं है। एसे समय में बच्चो को अभिभावको की प्रस्तुतता, बच्चो के भविष्य को ध्यान में रख़कर बच्चा जहाँ पढ़ते है वहाँ की स्कूलो में बच्चे की शिक्षा न लडखड़ाए उसे ध्यान में रख़कर जुवेनाइल कोर्ट तुरन्त हीं एसे मामलो का निवारण करती है। बाद में बच्चा जब अपराध किया हो और फिर से जहाँ पढ़ता हो वहाँ दाख़िल होने के लिए बच्चे को काफि कठिनाइयाँ पड़ती है। एसे मामलो में समाज सुरक्षा विभाग द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जहाँ भी छात्र पढ़ता है वहाँ की स्कूल में जिल्ला बाल सुरक्षा विभाग साक्षात्कार लेकर प्रश्नो को हल करता है।

- **निष्कर्ष और सूचनाएँ.**

- प्रत्येक संस्था में बुनियादी शिक्षा दी जाती है, यानि कि प्राथमिक शिक्षा की कार्य विधि तो होती है, किन्तु छात्र को कानून आधारित प्रवृत्ति की हो तब वह दूसरी शाळा या शाळा मे प्राथमिक इसके अलावा माध्यमिक शाळा में वह पढ़ता हो तो एसे मामलो में निरीक्षण गृहो में माध्यमिक या उच्चमाध्यमिक शाळा की सुविधा करनी चाहिए।
- समाज सुरक्षा विभाग द्वारा मुख़्यतः याचक कक्ष,महिला कक्ष,चिल्ड्रन होम, लडकें एवं लडकियाँ,मानसिक रुप से अस्थिर बच्चो का कक्ष, मूक बधिर बच्चो का कक्ष, विकलांग कक्ष, नेत्रहीन लोगो का कक्ष जैसे कक्षो का संचालन की योग्यता है। जिसमें मुक़्यतः स्वैच्छिक संगठनो द्वारा चलाये जाने के कारण समग्र

संचालन,पर्यवेक्षण (supervision) एवं प्रभावी आयोजन की व्यवस्था की मर्यादा रहीं है। एसे मामलो में सभी गतिविधियाँ में सरकारी विधि के मुताबिक चलता है। किन्तु सरकार का उद्देश्य होता है वह सिद्ध नहीं होता। इसमें स्वैच्छिक संगठनो की साझेदारी जरूरी है। इसके अलावा, सरकार की ओर से समयानुसार संगठनो की मूल्यांकन विधि,गुणवत्ता आदि जैसे संपूर्ण पहलूओ पे पारदर्शी प्रबंधन कार्यान्वयित होनी चाहिए।

- कानून के संघर्ष में आये हुए बच्चो की शिक्षा कार्य के लिए जो भी सरकारी शाळा है वहाँ अवलोकन कक्ष में बच्चो को भेजा जाए तो बच्चो के प्रवासन करने की जिम्मेदारी वहाँ के संगठन की होती है। एसे मामलो में प्रवासन के दौरान बच्चा पलायन होने के प्रश्नो भी होते है। जिस से अवलोकन कक्ष चलानेवाले कोई भी संगठन एसे कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। जिस से बच्चो की शिक्षा पे सीधा असर होता है। एसे मामलो में सरकार वैज्ञानिक विधि द्वारा बाल मनोविश्लेषको एवं शिक्षाविदो का सहारा लेकर नया आयोजन, नयी नीति और शिक्षा की नयी विधियाँ विकसित करनें के लिए अनुसंधान करना चाहिए।
- सरकार ने जो भी परिसर बनाये है, वह स्वैच्छिक संगठनोवाले है,इसलिए सरकार को एसे परिसर बनाने चाहिए कि जिससे वहाँ पर भी सामान्य बच्चो की तरह शिक्षा,मनोरंजन,खेल-कूद जैसी सामान्य बच्चो को मीलनेवाली सुविधाएँ जैसी सुविधाएँ देने का आयोजन है। किन्तु जिल्लो के प्रत्येक केन्द्रो पे एसे परिसर भी खडे कर देने चाहिए। जिसमें ग्राम्य और शहरी दोनों स्तर को केन्द्र में रख़कर आयोजन करना चाहिए। कुछ जगा पे सरकार को भी एसे परिसर खडे करने के लिए जमीन,क्षेत्र,प्रशासनिक कार्यप्रणाली जैसे मामलो की कठिनाईयाँ होने की वजह से संपूर्ण राज्य में लागू करना कठिनाईपूर्ण कार्य है।

- **निष्कर्षः-**

दिनांक २९ अगस्त २०१५ के अख़बार के मुताबीक अंतिम पाँच साल में रूपयो की माँग सहित विभिन्न कारणोसर खंडणीख़ोरो बच्चो का अपहरण कर रहें है। गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र में पूछें गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि २००९ से लेकर २०१४ तक ० से १४ साल के ४३२ लडकें और ८०६ लडकीयाँ का अपहरण हुआ है। जिसमें १५ से १८ साल के २७२ लडकें और ४५६९ लडकीयाँ वापस मील गई है। अभी भी ० से १४ साल के ६४ लडकें और ११७ लडकीयाँ एवं १५ से १८ साल के २४५ लडकें और ६३६ लडकीयाँ लापता है। इस प्रकार गुजरात में बच्चो का अपहरण के मामलो में बढ़ौती हो रहीं है। गुजरात के अहमदाबाद की बात की जाए तो अंतिम पाँच साल में १०८८ बच्चो का अपहरण हुआ है। इस प्रकार बच्चो की असुरक्षा एवं इसके अपहरण के मामलो में रोजबरोज बढ़ौती होने की समस्या के कारण बच्चो के लिए कानून, उनके अधिकार,उनकी सुरक्षा के लिए उपाय संबंधित विभागो, कार्यकर्ता, संगठनो और सरकार को फिर से सोच विचार करने की जरूरत हो एसा लग रहा है।

संदर्भसूचि:

- उचाट डी.ए(2009), शिक्षण अने सामाजिक विज्ञानोमां संशोधननुं पध्धतिशास्त्र,पारस प्रकाशन ,राजकोट
- देशाई एच.जी अने के.जी.देशाई(1997),संशोधन पध्धतिओ अने प्रविधीओ,युनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड,अमदावाद

- शाह.ए.जी अने दवे.जे.के(1995-96) समाजशास्त्रनी संशोधन पध्धतिओ अने आंकडाशास्त्रीय विश्लेषण,अनडा प्रकाशन अमदावाद
- किशोर न्याय के लिए बालकों की देखरेख ओर संरक्षण अधिनियम - 2000, भारत सरकार
- प्रो.अनिल सदगोपालन,शिक्षा का अधिकार
- जिला समाजसुरक्षा विभाग,सुरत(गुजरात)
- www.wcd.gujarat.gov.in
- www.sje.gujarat.gov.in

****

प्रा.संजय र.पटेल

सहायक प्राध्यापक-समाजशास्त्र

डॉ.बाबासाहब आंबेडकर मुकत विश्वविध्यालय

अहमदाबाद

Copyright © 2012- 2016 KCG. All Rights Reserved. | Powered By : Knowledge Consortium of Gujarat